मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
ब्लाक नंबर ०7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
CIN:U40109MP2002 SGC015120
दूरभाषनं 00761-2661219, 2702020,फैक्स नं0 0761-2660128 बेबसाईट www.mpez.co.in

क्रमांक-प्रसं/पू.क्षे./मुमप्र(मा.संसा.एवंप्रशा.)/जांच/6106 जबलपुर, दिनांक 16-12-2025

//आदेश//

श्री मुकेश सिंह, कार्यपालन अभियंता (चालू प्रभार) (संचा/संधा) संभाग, सीधी के पद पर दिनांक 15.08.2023 से 05.10.2024 तक पदस्थ थे । उक्त पदस्थापना दौरान आचरण नियमों का उल्लंघन कर अनुशासनहीनता कार्यप्रणाली के दृष्टिगत श्री मुकेश सिंह को आदेश क्रमांक 4749 दिनांक 16.12.2024 से निलंबित कर उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) रीवा कार्यालय नियत किया गया।

इसी बीच मे. अल्ट्राटेक सीमेंट (विचारपुर कोलमाइन्स) जिला शहडोल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विद्युत शुल्क वापसी हेतु दायर रिट याचिका क्रमांक 4333/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 प्राप्त हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मे. अल्ट्राटेक सीमेंट, विचारपुर कोलमाइन्स, जिला शहडोल को राशि रू. 8.50 करोड़ का भुगतान मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से किये जाने का आदेश शासन के विरूद्ध पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की जांच के उपरांत पाये गये तथ्यों के आधार पर श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध पत्र क्रमांक 5546 दिनांक 23.04.2025 से आरोप पत्र जारी किया गया। श्री मुकेश सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोप निम्नानुसार है:-

<u>आरोप क्रमांक 01-</u>

श्री मुकेश सिंह, कार्यपालन अभियंता दिनांक 06.09.2018 से 14.01.2021 तक संचालन एवं संधारण संभाग, शहडोल में पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना दौरान विचारपुर कोलमाइन्स (अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमि.) विचारपुर जिला शहडोल के 33 के. व्ही उच्चदाब कनेक्शन के सम्बन्ध में श्री मुकेश सिंह द्वारा लाईन के हेंडिंग ओवर की तिथि दिनांक 05.03.2019 को परिवर्तित कर दिनांक 01.03.2019 अंकित की गयी। श्री मुकेश सिंह द्वारा उक्त कूटरचित दस्तावेज के परिणाम स्वरूप रिट याचिका क्रमांक 4333/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में अतिउच्चदाब उपभोक्ता को म.प्र. शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली विद्युत शुल्क की राशि रू. 8.50 करोड़

Scanned with OKEN Scanner

का भुगतान मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे उपभोक्ता को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अनुचित लाभ एवं म.प्र. शासन को वित्तीय क्षति कारित हुयी।

आरोप क्रमांक 02-

श्री मुकेश सिंह द्वारा विचारपुर कोलमाइन्स (अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमि.) विचारपुर जिला शहडोल के 33 के. व्ही उच्चदाब कनेक्शन के सम्बन्ध में कार्य पूर्णता प्रतिवेदन के संबंध में पत्र क्रमांक 2924 दिनांक 16.10.2020 से प्रस्तुत कूटरचित दस्तावेज को प्रमाणित करने हेतु अधीक्षण अभियंता को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री मुकेश सिंह द्वारा कार्य पूर्णता की तिथियों को उपभोक्ता को विद्युत शुल्क की छूट का पात्र बनाने हेतु परिवर्तित किया गया।

श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) द्वारा उक्त आरोप के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित समयावधि में बचाव कथन प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने से अतिउच्चदाब उपभोक्ता को विद्युत शुल्क की राशि का लाभ पहुंचाकर शासन को पहुंचाई गई वित्तीय क्षति से संबंधित होने के दृष्टिगत पत्र क्रमांक 2557 दिनांक 09.05.2025 से श्री पी.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक (वाणिज्य) जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी ।

जांचकर्ता अधिकारी श्री पी.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक (वाणिज्य) जबलपुर द्वारा श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र क्रमांक 46 दिनांक 11.12.2025 से जांच निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच निष्कर्ष की प्रति पत्र क्रमांक 6066 दिनांक 11.12.2025 से श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) की ओर प्रेषित करते हुए अभ्यावेदन चाहा गया। श्री मुकेश सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि के उपरांत ई-मेल दिनांक 12.12.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभ्यावेदन में परिशीलन उपरांत यह पाया गया कि श्री मुकेश सिंह द्वारा विभागीय जांच प्रक्रिया एवं कार्यवाही पर आक्षेप लगाया गया है तथा दोषपूर्ण दर्शाया है। उनके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी, जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी आक्षेप लगाया गया है।

श्री मुकेश सिंह की विभागीय जांच के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विभागीय जांच में विलंब करने तथा समस्त संबंधित अधिकारियों पर लगातार आक्षेप लगाने एवं विभिन्न शासकीय नियमों एवं निर्देशों का

Scanned with OKEN Scanner

दुरूपयोग करने का उनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया ताकि विभागीय जांच पूरी नहीं की जा सके। उनके द्वारा प्रारंभ से ही असहयोगात्मक आचरण अपनाते हुए जांच से सबंधित आरोपों के बचाव प्रस्तुत करने के स्थान पर तत्समय शहडोल में पदस्थ अन्य कार्यरत अधिकारियों पर उत्तरदायित्व स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) के पद पर पदस्थ रहते हुए उन्हीं का था।

संक्षेप में श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलं.) के विरूद्ध जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिपादित जांच निष्कर्षानुसार मेसर्स विचारपुर कोलमाईन्स (अल्ट्राटेक सीमेंट) ग्राम सिंदुरी, जिला शहडोल के कार्यपूर्णता पत्रक के अनुसार कार्य दिनांक 05.03.2019 को पूर्ण होना दर्शाया गया था किन्तु इसके विपरीत कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर कार्यपूर्णता दिनांक 01.03.2019 दर्शाया गया । कार्यपूर्णता तिथि दिनांक 05.03.2019, अधिसूचना में उल्लेखित छूट अवधि के पश्चात होने से उपभोक्ता विद्युत शुल्क का पात्र नहीं था। इसी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर उपभोक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विद्युत शुल्क वापसी हेतु रिट याचिका दायर की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2024 को उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय पारित कर राशि रू. 8.50 करोड़ का भुगतान मय 6 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया गया । जांच में पाया गया कि में. विचारपुर कोलमाईन्स (अल्ट्राटेक सीमेंट) को एक ही कार्य के दो भिन्न – भिन्न कार्यपूर्णता एवं हेंडिंग ओवर प्रतिवेदन जारी किये गये, जिनमें से दिनांक 01.03.2019 का पत्रक स्पष्ट रूप से कूटरचित था। दिनांक 01.03.2019 एवं 05.03.2019 दोनो कार्यपूर्णता पत्रक श्री मुकेश सिंह द्वारा हस्ताक्षरित थे। तत्संबंध में शासन को रू. 8.50 करोड़ की वित्तीय क्षति के लिए श्री मुकेश सिंह, तत्का. कार्यपालन अभियंता उत्तरदायी है। 33 के.व्ही. लाईन के कार्यपूर्णता व वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करने का संपूर्ण दायित्व कार्यपालन अभियंता का है। इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) शहडोल को पत्र क्रमांक 2924 दिनांक 16.10.2020 से कार्यपूर्णता एवं हेंडिग ओवर प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2019 प्रेषित किया गया। जबकि पत्र क्रमांक 2332 दिनांक 07.09.2020 से कार्यपूर्णता एवं हेंडिग ओवर प्रतिवेदन की तिथि 05.03.2019 दर्शायी गयी। अतः श्री मुकेश सिंह द्वारा कार्यपूर्णता तिथियों में परिवर्तन जैसी भ्रामक जानकारी उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि पायी गयी। तदानुसार श्री मुकेश सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्रमांक 01 व 02 पूर्णतः सिद्ध पाये गये।

Scanned with OKEN Scanner

श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध संपूर्ण प्रकरण, जिसमें जांच प्रतिवेदन एवं श्री मुकेश सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन भी सम्मिलित है, पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया एवं पाया गया कि:-

(अ) जांचकर्ता अधिकारी श्री पी.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक (वाणिज्य) जबलपुर द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया अनुसार की गयी है ।

(ब) श्री मुकेश सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) को अपने बचाव हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है ।

(स) जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन जांच कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों पर आधारित है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री मुकेश सिंह द्वारा विभागीय जांच में अनुचित विलंब किए जाने हेतु लगातार प्रयास किए गए एवं शासकीय नियमों का दुरूपयोग करने लगातार प्रयत्नशील रहे है। जांच अभिलेखों से स्पष्ट है कि जब-जब विभागीय जांच में प्रगति हुई है, श्री मुकेश सिंह द्वारा चिकित्सा-अवकाश के आवेदन प्रेषित किए गए। चिकित्सा आवेदन श्री मुकेश सिंह द्वारा अपनी पत्नी एवं भाई के ई-मेल से प्रेषित किए गए। कंपनी द्वारा समस्त पत्राचार जो उनके अभिलेखों में दर्ज पते पर अग्रेषित किए गए, को श्री मुकेश सिंह द्वारा लेने से अस्वीकार किया गया ताकि जांच आगे न बढ़ सके। उक्त आचरण उनके असहयोग, नियम एवं निर्देशों का दुरूपयोग एवं अपने कृत्यों से सीमित संसाधनों का अपव्यय किए जाने का द्योतक है।

उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिपादित जांच निष्कर्ष से सहमत होते हुये, समस्त उपलब्ध दस्तावेजों जिसमें श्री मुकेश सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन भी सम्मिलित है, यह पाया गया कि प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच निष्कर्ष एवं उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री मुकेश सिंह द्वारा सहायक अभिंयता(ग्रा.) के हस्ताक्षर एवं कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि के प्रस्तुत आवेदन पर कार्यपूर्णता तिथि दिनांक 01.03.2019 निर्मित किये जाना स्वीकार किया गया। श्री मुकेश सिंह द्वारा 33 के.व्ही. उच्चदाब कनेक्शन के संबंध में कार्य हस्तांतरण की तिथि परिवर्तित की गई एवं चिन्हित अति उच्च दाब उपभोक्ता को विद्युत शुल्क की छूट का पात्र बनाये जाने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज को प्रमाणित करने हेतु उच्चाधिकारियों को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गयी। जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक मे. अल्ट्राटेक सीमेंट (विचारपुर कोलमाइन्स) जिला शहडोल के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए उपभोक्ता को शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली विद्युत शुल्क की राशि 8.50 करोड़ का भुगतान का मय 6 प्रतिशत ब्याज किये जाने का आदेश शासन के विरूद्ध पारित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

श्री मुकेश सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 12.12.2025 में भी ऐसा कोई नया तथ्य प्रेषित नहीं किया गया, जिनसे अधिरोपित आरोपों के सिद्ध होने में कोई भी संदेह हो। जांच में विलंब करने के उद्देश्य से चिकित्सा संबंधी नियमों, विभागीय जांच प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अधिकारियों पर गलत आपेक्ष लगाना तथा अप्रासंगिक (irrelevant) बिन्दुओं पर लंबे-लंबे अभ्यावेदन ई-मेल से प्रेषित किया जाकर एक-एक माह का समय मांगना स्वतः दर्शाता है कि श्री मुकेश सिंह द्वारा जांच में असहयोग किया गया एवं जांच पूर्ण न हो ऐसा प्रयास किया गया।

तदानुसार श्री मुकेश सिंह द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12.12.2025 का अभ्यावेदन समाधानकारक नहीं पाया गया तथा जांच अभिलेखों से स्पष्ट है कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा नियम निर्देशों का पालन करते हुए अपचारी अधिकारी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जांच के अंतिम चरण तथा निष्कर्ष उपरांत जांचकर्ता अधिकारी द्वारा नियम अनुसार अपचारी अधिकारी को सूचित किये जाने के उपरांत भी बिना किसी आधार के अतिरिक्त समय मांगा जाना मान्य नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री मुकेश सिंह द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 29723/2025 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2019 के कार्यपूर्णता प्रतिवेदन को टंकण त्रुटि होना बताया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित निर्णय दि. 13-11-2025 के पृष्ठ क्रं. 14 के बिन्दु क्रं. 14 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संदेहास्पद पाये जाने की टीप अंकित की गयी।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री मुकेश सिंह द्वारा दिनांक 12.12.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पूर्णतः आधारहीन होने के कारण अमान्य किया जाता है। प्रकरण में श्री मुकेश सिंह द्वारा शासन को राशि रू. 8.50 करोड़ की वित्तीय क्षति एवं अपने बचाव हेतु भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि पाई गई। अतः जांच अधिकारी के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में दोनों आरोपों को पूर्णतः सिद्ध पाया गया।

उक्तानुसार प्रकरण की समस्त वास्तविक परिस्थितियों, पहलुओं एवं उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन/मनन के उपरांत कंपनी की अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका में प्रदत्त अधिकारों के तहत म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत श्री मुकेश सिंह, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता (चालू प्रभार) (संचा/संधा) शहडोल वर्तमान में सहायक अभियंता (निलंबित) कार्या. मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) रीवा को तत्काल प्रभाव से कंपनी सेवाओं से पदच्युत (Dismiss) किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

श्री मुकेश सिंह के सेवाअभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है उनकी लगभग 18 वर्ष की सेवा अवधि में विभिन्न अनियमितताओं हेतु 20 कारण बताओं सूचना पत्र एवं 04 आरोप पत्र जारी किये गये है। श्री मुकेश सिंह के विरूद्ध 02 अन्य विभागीय जांचें प्रचलन में है । इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण में कंपनी को राशि रू. 45 लाख की क्षति पहुंचाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

अतः श्री मुकेश सिंह, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता (चालू प्रभार) (संचा/संधा) शहडोल वर्तमान में सहायक अभियंता (निलंबित) कार्या. मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) रीवा को कंपनी सेवाओं से एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से पदच्युत (Dismiss) किया जाता है ।

16/12/25

(अनय द्विवेदी)
आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक-प्र.सं./मुमप्र(मासंएवंप्र)/पू.क्षे/जांच/ 6107 जबलपुर,दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा ।
2. मुख्य अभियंता (श.क्षे./री.क्षे.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा/शहडोल ।
3. अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., शहडोल ।
4. महाप्रबंधक, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
5. श्री मुकेश सिंह, सहा. अभि. (निलंबित) कार्या. मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा ।

16.12.25

(सम्पदा सराफ)
मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.)

श्रीमति दीपा खत्री
कार्या. सहा. श्रेणी -3

भावना आर्या
प्रबंधक (जाँच)

Scanned with OKEN Scanner